

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2690]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 29, 2013/अग्रहायण 8, 1935

No. 2690]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 29, 2013/AGRAHAYANA 8, 1935

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2013

का.आ. 3540(अ).—केन्द्रीय सरकार, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 20क के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), में का.आ. संख्यांक 1024(अ) तारीख 10 मई, 2011 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में “मैसर्स इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) पारादीप फास्फेट लिमिटेड द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले” शब्दों और कोष्ठक का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 2-3/2013-उर्वरक विधि]

नरेन्द्र भूषण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Co-operation)

ORDER

New Delhi, the 29th November, 2013

S.O. 3540(E).—In pursuance of clause 20A of the Fertiliser (Control) Order, 1985, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture. (Department of Agriculture and Co-operation) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1024(E), dated the 10th May, 2011, namely :—

In the said notification, the words, letters and brackets “to be manufactured by M/s. Indian Farmers Fertilizers Co-operative Ltd. (IFFCO), M/s. Paradeep Phosphate Limited” shall be omitted.

[F. No. 2-3/2013-Fert. Law]

NARENDRA BHOOSHAN, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2013

का.आ. 3541(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम उर्वरक (नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 2013 है।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
2. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 32क के उप-खण्ड (2) में निम्नलिखित परंतुक को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु अपील प्राधिकारी तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् किसी अपील पर विचार कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर उसे फाइल न करने का पर्याप्त कारण था।”।

[फा. सं. 2-3/2013- उर्वरक विधि]

नरेन्द्र भूषण, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र सा.का.नि. संख्यांक 758(अ), तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसका अंतिम संशोधन का.आ. संख्यांक 2475(अ), तारीख 16 अगस्त, 2013 द्वारा किया गया।

ORDER

New Delhi, the 29th November, 2013

S.O. 3541(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Control) Order, 1985, namely :—

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Control) Fourth Amendment Order, 2013.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Fertiliser (Control) Order, 1985, in clause 32A, in sub-clause (2), the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that the Appellate Authority may entertain an appeal after the expiry of said period of thirty days if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing it within that period.”.

[F. No. 2-3/2013-Fert. Law]

NARENDRA BHOOSHAN, Jt. Secy.

Note : The Principal Order was published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 758(E), dated the 25th September, 1985 and last *vide* number S.O. 2475(E) dated the 16th August, 2013.

आदेश

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2013

का.आ. 3542(अ).—केन्द्रीय सरकार, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 20 क के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), में का.आ. संख्यांक 1421(अ) तारीख 22 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में “मैसर्स पारादीप फास्फेट लिमिटेड द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले” शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 2-3/2013- उर्वरक विधि]

नरेन्द्र भूषण, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 29th November, 2013

S.O. 3542(E).—In pursuance of clause 20A of the Fertiliser (Control) Order, 1985, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture. (Department of Agriculture and Co-operation) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1421(E), dated the 22nd June, 2012, namely :—

In the said notification, the word and letters “to be manufactured by M/s. Paradeep Phosphate Limited” shall be omitted.

[F. No. 2-3/2013 Fert. Law]

NARENDRA BHOOSHAN, Jt. Secy.